राजस्व लोक अदालत कैम्प जैसलाना

मुकदमा नम्बर 34/18 9/5/18

वादी सूरा उर्फ भंवर लाल पुत्र नाथू जाति माली नि. सूरपुरी की ढाणी जैसलाना

बनाम तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल (प्रतिवादी)

दावा दुरस्ती इन्द्राज अर्न्तगत धारा 88,89

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद निम्न प्रकार है सूरपुरी की ढाणी

ग्राम जैसलाना पटवार हल्का जैसलाना तहसील कि. रेनवाल

के आराजी खसरा नम्बर 85/1, 85/2

में वादी का नाम व विवरण सूरा पुत्र नाथू जाति माली

के स्थान पर

सूरा उर्फ भंवर लाल पुत्र नाथू जाति माली

पर दुरस्त किया जावें।

उपरोक्त वाद के संबधं में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजो के अवलोकन करने तथा रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि./तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर एवं कैम्प कोर्ट में मजमेंआम में जांच की जाने पर उक्त दुरस्ती से किसी सहखातेदार का हित प्रभावित नही होने से वादी का वाद डिकी किया जाना उचित हैं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लगातार 2

Scanned by CamScanner

वर्तमान प्रविष्टि	आदेशानुसार प्रविष्टि
भूरा पुत्र नाथू जाति माली [illegible]	[illegible] [illegible] पुत्र नाथू जाति माली [illegible]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त डिकी अनुसार तहसीलदार ....
को राजस्व रिकार्ड में अमल दरावद हेतू लिखा जावें।

09/5/18
सहायक कलेक्टर
सांभर लेक

सहायक कलेक्टर / उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सांभर–लेक (जयपुर)

Scanned by CamScanner